संख्या-43/2016/174/12-3-2016-100(60)/2013

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 22 मार्च, 2016**

विषयः- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-गे.मो.आ./848/ने.फू.सि.मि./2015-16, दिनांक 04.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत कार्मिशयल क्राप हेतु निम्न विवरण के अनुसार रू0-14725 हजार (रू0 एक करोड़ सैतालीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि हजार रू0 में

क्र.सं.	**मानक मद**	**बजट प्राविधान 2015-16**	**स्वीकृत धनराशि**
1	07-मानदेय	34448	-
2	16-व्यवसायिक सेवाओं हेतु भुगतान	27220	-
3	27-सब्सिडी	2182824	14725
4	42-अन्य व्यय	29682	-
5	44-प्रशिक्षण	20938	-
	कुलयोग	**2295112**	**14725**

(रू0 एक करोड़ सैतालीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/14, दिनांक 22.7.2014 में निहित शर्तो तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2- 2528/दस- 2014-10-77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-5 एवं 9 में दिये गये निर्देशों का

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयेाग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु पत्र संख्या-सी.पी.एस.-2-27/2015-एन.एफ.एस.एम., दिनांक 7.5.2015 द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के कार्यों पर व्यय किया जाएगा। धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

5- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

6- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

7- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1- 285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये

http://shasanadesh.up.nic.in

जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

9- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

10- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-102-खाद्यान्नों की फसलें-01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015, दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

सं**0-174(1)/12-3-2016-**तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
7- अपर कृषि निदेशक (चावल), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in